राजस्थान सरकार

## निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन', जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर 302016

क्रमांकः प.108 / कम्प / एसआईपीएफ पेमेन्ट / 2017 / १५५७ दिनांक 26.12.2017

## परिपत्र

विषयः– सामान्य प्रावधायी निधि योजना के आहरण एवं दावों का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारियों के स्थान पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिलाधिकारियों द्वारा किये जाने के संबंध में।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांकः प.4(8)वित्त / राजस्व / 05 पार्ट लूज दिनांक 21.12.2017 के द्वारा प्रावधायी निधि योजनान्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्रावधायी निधि से राशि आहरित करने हेतु अधिकार–पत्र या चैक जारी करने के स्थान पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिलाधिकारी के नाम भुगतान आदेश (फ्लोट) जारी कर पे–मैनेजर पोर्टल पर ऑनलाईन बिल सबमिट करते हुए संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में राशि भुगतान की कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997 के नियम 29 के तहत अधिकृत किया गया है। उक्त नवीन व्यवस्था दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी होगी।

वित्त विभाग के उपर्युक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

1. राज्य कर्मचारी स्वयं के लॉगिन से सामान्य प्रावधायी निधि योजना के आहरण एवं दावों आदि के प्रार्थना–पत्र एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करेंगे।
2. एसआईपीएफ पोर्टल पर कर्मचारी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों की संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा समुचित जॉच की जाकर 3 दिवस में अग्रेषित किया जायेगा।
3. कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वयं के लॉगिन से अविलम्ब मृत्यु स्वत्व प्रपत्र एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत एवं अग्रेषित किया जायेगा। इस हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा मृतक कर्मचारी के मनोनीत / वैद्य दावेदारों के बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड एवं बैंक नाम आदि सूचनाएं एसआईपीएफ पोर्टल के एम्प्लॉई मॉडयूल के बैंक डिटेल में पूर्ण रूप से पूर्ति करेगा तथा संबंधित दावेदारों के बैंक खाते की निरस्त चैक / पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति दस्तावेजों के साथ बीमा विभाग के जिला कार्यालयों को भिजवाया जायेगा।
4. एसआईपीएफ पोर्टल पर कर्मचारी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत / अग्रेषित प्रार्थना–पत्रों की एक प्रिन्ट प्रति कर्मचारी / दावेदार एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मय वांछित दस्तावेज (यथा मूल पास बुक आदि) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालयों को भिजवाया जायेगा।
5. उक्त प्रक्रिया में जिन राज्य कर्मचारियों का वेतन पे–मैनेजर के माध्यम से आहरित किया जा रहा है उनके बैंक खाते का विवरण पे–मैनेजर पोर्टल से एसआईपीएफ पोर्टल पर वेब सर्विस के माध्यम से स्वतः उपलब्ध होता रहेगा तथा इसी खाते में राशि का भुगतान किया जायेगा किन्तु मृत्यु स्वत्व या पे–मैनेजर से भिन्न कर्मचारियों के प्रकरणों में दावेदारों / कर्मचारियों के बैंक खातों की प्रमाणिक सूचना एसआईपीएफ पोर्टल पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा इन्द्राज की जायेगी।

6. एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन प्रार्थना–पत्रों एवं हार्ड कॉपी में प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं अपेक्षित दस्तावेजों की विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा रिकार्ड से समुचित जॉच/सत्यापन आदि कार्यवाही पूर्ण की जाकर प्रार्थना–पत्रों का अविलम्ब निस्तारण किया जायेगा।

7. विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा अनुमोदित (निस्तारित) प्रार्थना–पत्रों का जिला कार्यालयों द्वारा "भुगतान आदेश" (फ्लोट) तैयार किया जायेगा जोकि आहरण एवं विरतण अधिकारी के नाम न होकर विभाग के जिला कार्यालय के पक्ष में जारी होगा अर्थात अब अधिकार–पत्र जारी नहीं किये जायेंगे।

8. एसआईपीएफ पोर्टल से तैयार 'भुगतान आदेश' का प्रिन्ट लेकर विभागीय जिला कार्यालय के स्तर से रेफ्रेंस नम्बर के आधार पर पे–मैनेजर पोर्टल पर आगामी कार्यदिवस तक ऑनलाईन बिल प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त बिल की दो प्रतियॉ प्रिन्ट की जायेगी जो सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त एक प्रति कोषागार को भिजवायी जायेगी तथा दूसरी प्रति विभाग में सुरक्षित रखी जायेगी।

9. पे–मैनेजर पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट एसआईपीएफ भुगतान आदेशों की जॉच कोषागारों में पदस्थापित बीमा सहायकों द्वारा पूर्ववत् की जायेगी।

10. एसआईपीएफ पोर्टल पर तैयार "भुगतान आदेश" तथा पे–मैनेजर पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत बिल की रेफ्रेंस नम्बर के आधार पर जिला कोषाधिकारी समुचित जॉच कर ट्रेजरी मेन्युअल में निर्धारित समय सीमा के भीतर बिल पारित करते हुए संबंधित फ्लोट में अंकित कर्मचारियों/दावेदारों के बैंक खातों में राशि जमा करायेगा।

11. उक्त नवीन व्यवस्था के तहत आहरण एवं भुगतान की गई डेबिट राशियों की खतौनी एसआईपीएफ पोर्टल पर संबंधित राज्य कर्मचारियों के प्रावधायी निधि लेजर्स में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सम्पन्न होगी।

12. एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से भुगतानों की उक्त नवीन प्रक्रिया में एसआईपीएफ पोर्टल पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने, अग्रेषित करने, अनुमोदन करने तथा पे–मैनेजर पोर्टल से बिल पारित होकर राशि बैंक खाते में राशि जमा होने की सूचना संबंधित कर्मचारियों/दावेदारों के रजिस्टर्ड मोबाईल पर जरिये एसएमएस उपलब्ध कराई जायेगी, तथा प्रकरण के पूर्ण निस्तारण के पश्चात डीडीओ/कार्मिक को सिस्टम जनरेटेड अग्रेषण पत्र द्वारा भी सूचित किया जायेगा।

13. एसआईपीएफ पोर्टल पर सबमिटेड प्रार्थना–पत्र तथा जारी किये गये भुगतान आदेश संबंधित कर्मचारी के ई–बैग में सुरक्षित रहेंगे।

राज्य सरकार की ई–भुगतानों से संबंधित सुविधाओं का विस्तार किये जाने के क्रम में प्रावधायी निधि योजना के आहरण एवं दावों के भुगतानों की उक्त नवीन व्यवस्था दिनांक 01 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी। आरंभ में उक्त प्रक्रिया दिनांक 31.03.2018 तक पायलट बेसिस पर लागू की जा रही है।

(भँवर लाल मेहरा)
निदेशक

क्रमांकः प.108/कम्प/एसआईपीएफ पेमेन्ट/2017/ १५५४ – १६५६.  दिनांक 26.12.2017

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान,जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. निजी सचिव,निदेशक महोदय,राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग,राजस्थान,जयपुर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त नवीन प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु पे—मैनेजर पोर्टल पर समुचित प्रावधान कराया जावें तथा कोषाधिकारियों को भी अपने स्तर से आवश्यक दिशा—निर्देश जारी करावें।
7. वरिष्ठ अति.निदेशक,राज्य बीमा/सतर्कता/एनपीएस/पीएफ/साबीयो,मुख्यालय,जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्त निदेशक,प्रशासन/विधि एवं प्रशिक्षण,मुख्यालय,जयपुर।
9. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग,राजस्थान,जयपुर।
10. श्री रमेश चंद शर्मा, संयुक्त निदेशक एवं सिस्टम एनालिस्ट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,जयपुर को भेजकर लेख है कि एसआईपीएफ पोर्टल पर उक्त नवीन प्रक्रिया के सुचारू रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु यथा समय समुचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
11. श्री आई.डी.वरियानी, तकनीकी निदेशक, एनआईसी,वित्त भवन,जयपुर को प्रेषित कर लेख है किं उपर्युक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा सभी कोषाधिकारियों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
12. कोषाधिकारी, समस्त।
13. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग,समस्त जिला कार्यालयों को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र आपके जिले के जिला कलक्टर/समस्त कोषाधिकारियों/उप कोषाधिकारियों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा,जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान,अजमेर।

(धनलाल शेरावत)
अतिरिक्त निदेशक,सिस्टम

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक : एफ.4(99)वित्त/राजस्व/92 पार्ट जयपुर, दिनांक : 21 DEC 2017

# आदेश

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा **दिनांक 15.08.2016** से राज्य कर्मचारियों के **सामान्य प्रावधायी निधि** के आहरण एवम् दावों का **एसआईपीएफ पोर्टल** के माध्यम से ऑनलाईन निस्तारण किया जा रहा है, किन्तु अभी भी ऑफलाईन कार्य-प्रक्रिया की भाँति अधिकार-पत्र पूर्ववत् कर्मचारी के संबंधित आहरण एवम् वितरण अधिकारी के नाम जारी कर भिजवाये जा रहे हैं। उक्त प्रक्रिया में बीमा विभाग से अधिकार-पत्र डिस्पेच कर संबंधित आहरण एवम् वितरण अधिकारी के कार्यालय में पहुँचने तथा उनके स्तर से कोषागार में बिल प्रस्तुत करने के कारण कर्मचारियो/दावेदारों को भुगतान प्राप्त होने में औसतन दो-तीन माह का समय लग जाता है।

अतः भुगतान में होने वाले उक्त विलम्ब को कम करने हेतु आहरण एवम् वितरण अधिकारी को एकल अधिकार पत्र जारी करने के स्थान पर अब फ्लोट सिस्टम के अन्तर्गत बीमा विभाग के जिलाधिकारी के द्वारा एक से अधिक कर्मचारियों को एक साथ भुगतान किये जाने की प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आहरण एवम् वितरण अधिकारियों को सामान्य प्रावधायी निधि से राशि आहरित करने हेतु अधिकार-पत्र या चैक जारी करने के स्थान पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिलाधिकारी के नाम "भुगतान आदेश" (फ्लोट) जारी कर पे-मैनेजर पोर्टल पर ऑनलाईन बिल सबमिट करते हुये सम्बन्धित कर्मचारी के बैंक खाते में राशि भुगतान की कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 29 के तहत एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

अब कर्मचारी द्वारा (मृत्यु दावों के प्रकरणों में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा) स्वयं के लोगिन आईडी से एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र सबमिट करने के पश्चाद् एवम् राज्य कर्मचारी के संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्रों का नियमानुसार परीक्षण के उपरान्त एसआईपीएफ विभाग को अग्रेषित करने पर विभाग के संबंधित जिला कार्यालय हार्डकॉपी के रूप मे प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में नियमसम्मत् निस्तारण की समुचित कार्यवाही करते हुये 'भुगतान आदेश' (फ्लोट) जारी कर स्वयं के स्तर पर संबंधित कर्मचारियों/दावेदारों को उनके बैंक खाते में भुगतान की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

उक्त प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत निर्देश निदेशक, बीमा के द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

आरम्भ में, उक्त प्रक्रिया दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पायलेट बेसिस पर लागू की जा रही है।

598/595
26/12/17

उक्त नवीन व्यवस्था **दिनांक 01 जनवरी, 2018** से प्रभावी होगी।

( डी. बी. गुप्ता )
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

क्रमांक : एफ.4(99)वित्त/राजस्व/92 पार्ट जयपुर, दिनांक 21 DEC 2017

*प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–*

1. सचिव, माननीय राज्यपाल राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त नवीन व्यवस्था के सुव्यस्थित क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हुए अपने स्तर से समुचित दिशा–निर्देश जारी करावें।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि सभी कोषाधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करावें।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली ।

21/12/17

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग,

*प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :*

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।

21/12/17

संयुक्त शासन सचिव,